प्रथम सूचना रिपोर्ट (दण्ड प्रकिया सहिता घारा 154 के अन्तर्गत) जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022 **ी** दिनांक ...... (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, ग्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 2, (ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (iii) अधिनियम -धारायें -(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें -3. (ब) अपराध के घटने का दिन व समयः बुधवार विनांक 15.06.2022 समय 12.30 पीएम (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 14.06.2022 स्तना की किरम : लिखित/मौखिक : लिखित 4. घटना स्थल: 5 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 580 किलो मीटर (ब) पता : राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा। .....जरायमदेही संख्या .....जरायमदेही संख्या..... (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना सी०पी०एस० जयपुर जिला चौकी भ्रनिय्यूरो, बांसवाडा परिवादी / सूचनाकर्ताः श्री पीरुलाल डोडियार (अ) नाम : – श्री राजेंग डोडियार (ब) पिता 22 वर्ष (स) जन्म तिथि / वर्ष - भारतीय (द) राष्ट्रीयता : ..... जारी होने की तिथि..... (य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की जगह.....

(२) व्यवसाय – मजदूरी
(छ) पता – गांव दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : डॉ. प्रदीप शर्मा पिता श्री भगवान सहाय शर्मा उम्र ४० वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी गांव पाली थाना महूआ जिला दौसा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा।

श्रमारा राज्यत होना वर्ने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9 दुराई हुई / संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

-0 चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : - 8,000/- रूपये

🚌 मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :--

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिवित पन्ना लगावे)—

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक च्यूरो घांसवाङा। विषय:– रिश्वत गांगने पर कार्यवाही बाबत।

उपराक्त विषय में नियंदन है कि भेरे भाई श्री राजू की पत्नी नरसा का जिलेवरी टाईम होने से दिनाक 12.06.22 को राजकीय प्राथमिक अस्पताल दानपुर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब प्रदीप शर्मा द्वारा बताया गया कि बच्चा अन्दर मर गया है जिसकी जिलेवरी कराने में एक दो दिन का समय शर्मा जिसके लिये 4000 रुपये खर्वापानी लगेगा जिस पर मैंने राजू के सामने ही दिनांक 12.06.22 को दे लगेगा जिसके भि उत्तरिय नहीं हुई इसके बाद आज दिनाक 14.06.22 को दानपुर अस्पताल से जिला दिये। फिर भी डिलेवरी नहीं हुई इसके बाद आज दिनाक 14.06.22 को दानपुर अस्पताल से जिला अस्पताल वांसवाडा के लिये रेफर कर दिया और कहा कि वहां के जिल्दर साहब से मेरी बात हो गयी है वो अस्पताल वांसवाडा के लिये रेफर कर दिया और कहा कि वहां के जिल्दर साहब से राजकीय अस्पताल वांसवाडा में डिलेवरी करा देगें। जिस पर दानपुर से नरसा को लेकर महादाम गावी राजकीय अस्पताल वांसवाडा में डिलेवरी करा देगें। जिस पर दानपुर से नरसा को कितकी हास 1000 हजार रुपये स्टाफ के लिये एवं 8000 आज भर्ती करा दिया है। वहां के डॉक्टर साहब अमितकी हास 1000 हजार रुपये स्टाफ के लिये एवं 8000 आज भर्ती कराने के खर्चापानी के रुवंग के लिये गांगे गये। नरसा को गर्ती कराने हेतु वांसवाडा आ रहे रुपये डिलेवरी कराने के खर्चापानी के रुवंग के लिये गांगे गये। नरसा को गर्ती कराने हेतु वांसवाडा आ रहे रुपये डिलेवरी कराने के खर्चापानी के रुवंग के लिये गांगे गये। नरसा को गर्ती कराने हेतु वांसवाडा आ रहे रुपये डिलेवरी कराने के खर्चापानी के रुवंग के लिये गांगे गये। नरसा को गर्ती कराने हेतु वांसवाडा आ रहे

है और कहा कि मेरी डॉक्टर साहब से वहां बात हो गयी है अच्छा ईलाज कर देगें। ईलाज के संबंध में आज डॉक्टर साहब प्रदीप शर्मा से जिरये मोबाईल चार—पांच बार मेरी बात हुई है। नरसा के ईलाज के संबंध में हमारी डॉक्टर अमितजी से बहस बाजी हो गयी है इसिलये वह अब रिश्वत राशि की मांग हमसे सीधी नहीं कर डॉक्टर प्रदीप शर्मा के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने अपने मोबाईल से आज दिनांक 14.06.22 को डॉक्टर प्रदीप शर्मा से वार्ता की तो रिश्वत राशि डॉक्टर अमितजी को नहीं देकर 8000 रुपये उनके हारा लेकर बाद में डॉक्टर अमितजी को देना बताया है उक्त वार्ता को मैंने अपने मोबाईल में दो बार रिकॉर्डिंग कर ली है। जिसकी सीडी बनाई जाकर आपकों प्रस्तुत कर रहा हूं। ईलाज के दौरान डॉक्टर अमितजी ने भी कहा कि मेरी डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात हो गई है। दोनो डॉक्टरों से किसी प्रकार की हमारी कोई रंजिश नहीं है और नहीं कोई उधारी लेनदेन है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं डॉक्टर अमित मिलकर मेरे भाई राजू की पत्नी नरसा के डिलेवरी कराने के नाम से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इन दोनो के खिलाफ रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही करावें।

दिनांक 14.06.22

प्रार्थी
सही / —
(पीरुलाल पिता राजेंग डोडियार)
सही / —
(राजू पिता रमेश डोडियार)
निवासी दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (मों न.9549709670)

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 14.06.2022 समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल पिता श्री राजेंग डोडियार उम्र 22 वर्ष एवं श्री राजू डोडियार पिता श्री रमेश डोडियार उम्र 20 वर्ष निवासी गांव दानपुर बारी तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर हाजिर आये। परिवादी श्री पीरुलाल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी पीरुलाल ने बताया कि मेरे भाई श्री राजु की पत्नी नरसा के डिलेवरी टाईम होने पर दिनांक 12.06.2022 को चिकित्सालय दानपुर में भर्ती कराया था जिस पर डॉ साहब ने बताया था कि बच्चा अन्दर मर गया है डिलेवरी में एक दो दिन का समय लगेगा और डिलेवरी कराने हेतु मुझसे 4000 रुपये खर्चापानी(रिश्वत) के नाम से दिनांक 12.06.2022 को ही ले लिये और डिलेवरी नही होने से दिनांक 14.06.2022 को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया और कहा कि मैने चिकित्सालय बांसवाडा में डॉ अमित से बात हो गई है वह डिलेवरी करा देगें। इसके बाद दिनांक 14.06.2022 को नरसा को चिकित्सालय बांसवाडा में भर्ती कराया गया जहां पर डॉ अमित द्वारा डिलेवरी कराने के लिये 1000 रुपये स्टाफ एवं 8000 रुपये स्वंय के लिये रिश्वत राशि की मांग की गई। नरसा का सही ईलाज नही करने से डॉ अमित से आपस में बहस बाजी हो गई। इस कारण डॉ अमित द्वारा रिश्वत राशि हम से सीधी नहीं मांग कर डॉ प्रदीप के माध्यम से मांग की गई है। डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्सालय दानपुर में पदस्थापित है तथा वह मुझसे जरिये मोबाईल पर भी रिश्वत की मांग कर लेते है। आज सुबह से लगाकर दिन में चार पांच बात हुई है मैने आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे मोबाईल नम्बर 9549709670 से डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 पर 9. 40 एएम एवं 01.15 पीएम पर रिश्वत मांग संबंधी हुई वार्तालाप को मैने अपने मोबाईल में रिकोर्ड कर लिया है जिसकी सीडी बनाकर आपको प्रस्तुत कर दी है। श्री राजू डोडियार ने भी श्री पीरुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। सीडी को कमप्युटर में डालकर सुना गया तो संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवादी श्री पीरुलाल से डॉ अमित के लिये 8000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है। फिर भी प्रकरण में रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभाती समझाई गई तो परिवादी श्री पीरुलाल ने बताया कि डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की गांग जिरये मोवाईल पर भी कर लेगें। मालखाने में रखा गया डिजीटल टेप रिकोर्डर श्री राजेश कानि से गंगवाया गया। सीडी पर परिवादी श्री पीरुलाल एवं श्री राजू के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.04 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल के मोबाईल नग्बर 9549709670 से संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नग्बर 9166678686 पर कॉल किया तो संदिग्ध का फोन व्यस्त आया। इसी दौरान संदिग्ध के मोबाईल से परिवादी के मोवाईल पर कॉल आया जिसे लाउड स्पीकर कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवादी श्री भीरुमल से उसके भाई राज् की पत्नी श्रीमती नरसा के अच्छा ईलाज करने व डिलेक्स कराने के लिये राविग्ध डॉ अगित के लिये 8000 रुपये रिश्यत की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा डॉ अभित से मिलने हेत् कहने पर रांदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा फोन से बात कर पुनः बताने हेतु कहा गया। सगय 03.09 पीएम पर संविग्ध हो प्रदीप शर्मा के मोबाईल से परिवादी पीरुलाल के गोवाईल पर कॉल आया जिसे लाउँ स्पीवनर कर वाली को ब्यूरों के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा कहा गया कि मेरी डॉ अभित से बात हो गई है अभी वह सरकारी अस्पताल में नहीं होकर उनके निजी विलीनिक पर मिलेमें वहा जाकर यात कर लेना। परिवादी पीरुलाल को डॉ अगित के विलीनिक कहां रिधत है की जानकारी नहीं होने से समय 03.10 पीएम पर परिवादी पीरुलाल को गोबाईल से संदिग्ध ठाँ प्रदीप शर्मा के मोबाईल पर पूनः कॉल किया जाकर फोन को लाउड रपीकर कर वार्ता करायी जाकर वार्ता को ब्यूरों के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। प्रकरण में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवादी पीरुलाल से दिनांक 12.06.2022 को

श्रीमही नरसा के ईलाज व डिलेवरी कराने के एवज में 4000 रुपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण कर ली है तथा नरसा की डिलेक्से नहीं कराकर राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय वांसवाडा के लिये आज दिनांक 14.06.2022 को रेफर करने पर श्रीमती नरसा को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय वांसवाडा में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय के डॉ अमित द्वारा परिवादी पीरुलाल से 1000 रुपये स्टाप के लिये एवं 8000 रुपये स्वंय के लिये मांग की गई परन्तु परिवादी व उसके परिजनों की डॉ अमित से ईलाज सही नहीं करने को लेकर आपस में बहस-बाजी हो जाने से अब रिश्वत की मांग नहीं की जा रही है फिर भी एक बार परिवादी श्री पीरुलाल व श्री राजू को संदिग्ध डॉ अमित के पास भेजा जाकर रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक है तथा संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा संदिग्ध डॉ अमित से वार्तालाप हो जाना तथा संदिग्ध डॉ अमित से उसके विलीनिक पर मिलने हेतु कहा गया है। परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्डर के रख-रखाव व उसके संचालन की विधि पुर्णत्यां समझाई गई। श्री राजेश कानि. का परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत माग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 03.25 पीएम पर परिवादी पीरुलाल को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री पीरुलाल एवं राजू को श्री राजेश कानि के हमराह ब्यूरो इकाई बासवाडा से रातीतलाई शहर बांसवाडा में स्थित संदिग्ध डॉ अमित के क्लिनिक हेतु मुनासिव हिंदायत के रवाना किया गया। समय 04.05 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल व राजू एवं श्री राजेश कानि मय डिजीटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई वासवाडा उपस्थित आये। परिवादी श्री पीरुलाल ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूपुर्द कर बताया कि हम दोनो(पीरुलाल व राजू) डॉ अमित के विलीनिक पर जाकर नरसा के ईलाज व डिलेवरी कराने तथा रिश्वत राशि के संबंध में वार्तालाप की तो डॉ अमित द्वारा रिश्वत की मांग नहीं कर डॉ प्रदीप शर्मा से बात हो गई इत्यादि कहा गया। परिवादी श्री पीरुलाल ने बताया कि नरसा के ईलाज के संबंध में हमारी आपस में बहस-बाजी होने से डॉ अमित रिश्वत की मांग नहीं कर रहा है। संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा लोक सेवक होकर परिवादी श्री भीरुलाल से दिनांक 12.06.2022 को 4000 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर ली एवं अब 8000 रुपये रिश्वत की मांग संदिग्ध डॉ अमित के लिये की गई। समय 04.34 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल के भोबाईल नग्बर 9549709670 से संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 कॉल कर फोन को लाउड स्पीकर पर कर वार्ता कराई जाकर वार्ता को ब्यूरों की डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा अब भी रिश्वत राशि की मांग संदिग्ध डॉ अमित के लिये की गई एवं संदिग्ध अमित द्वारा डॉ प्रदीप शर्मा से वार्ता हो जाना बता रहा है और संदिग्ध डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा रिश्वत राशि लेकर परिवादी श्री पीरुलाल को दिनांक 15.06.2022 को दानपुर बुलाया गया। परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू को दिनांक 15.06.2022 को प्रातः 8.00 एएम पर रिश्वत राशि 8000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बासवाडा पर उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री राजू ने बताया कि मेरी पत्नी नरसा चिकित्सालय बांसवाडा में भर्ती होने से उसके साथ रहना पड़ता है एवं श्री पीरुलाल रिश्वत राशि 8000 रुपये लेकर आ जायेगा जिस पर परिवादी श्री पीरुलाल व राजू को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिव हिदायत कर रुखसत किया गया। डिजीटल टेप रिकोर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी को सुरिक्षत मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 15.06.2022 समय 08.30 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए जरिये दूरभाष तलबीदा स्वतंत्र गवाहान डॉ. विजयसिंह भाटी पिता श्री जयपालसिंह गाटी हाल उप निदेशक बहुउददेशीय पश् चिकित्सालय बांसवाडा एवं श्री यशवन्त ताबियार पिता हवजी ताबियार निवासी गांव केसरपुरा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बांसवाडा उपस्थित आये। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री पीरुलाल ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आया और वताया कि रिश्वत राशि 8000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हू। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहानों को अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री पीरुलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी श्री पीरुलाल एवं राजू द्वारा पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री पीरुलाल ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पीरुलाल ने कल दिनांक 14.06.2022 को आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा एवं परिवादी पीरुलाल के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्तालाप को रिकोर्ड कर प्रार्थना पत्र के साथ सीडी प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 14.06.2022 को परिवादी श्री पीरुलाल एवं डॉ प्रदीप शर्मा के मध्य जिरये मोवाईल हुई वार्तालाप एवं संदिग्ध डॉ अमित एवं परिवादी श्री पीरुमल व राजू के मध्य संदिग्ध डॉ अमित के विलीनिक पर हुई वार्तालाप को व्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड है। डिजिटल टेप रिकोर्डर एवं परिवादी श्री पीरुलाल द्वारा प्रस्तुत सीडी को मालखाने से निकालकर सीडी को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईब (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईब को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतबिरान तथा परिवादी को रुबर शब्द-वशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-वशब्द फर्द ट्रांसिकेप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन झाईव से उय सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के का एक कपड़ का बला न डार्स्स का प्रकार साल्ड की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी पर संबंधितों के

हस्ताक्षर कराकर सीडी को एक कपडे की थैली में रखकर सीलचीट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 09.40 एएम पर दिनांक 14.06.2022 समय 03.04 पीएम, 03.09 पीएम, 03.10 पीएम एवं 04.34 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 9166678686 से परिवादी श्री पीरुलाल डोडियार के मोबाईल नम्बर 9549709670 पर हुई वार्ताए जिन्हे परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ताओं को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतविरान तथा परिवादी को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसिकेप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रूबरू गवाहान के छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 10.05 एएम पर दिनांक 14.06.2022 को संदिग्ध डॉ अमित एवं परिवादी श्री पीरुलाल व राजू के बीच संदिग्ध डॉ अमित के नायक हॉस्पीटल रातीतलाई बांसवाडा स्थित विलीनिक पर हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कर्नेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन झाईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतबिरान तथा परिवादी को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसिकेप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रूबरू गवाहान के छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 10.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री पीरुलाल डोंडियार से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो

के नम्ब	र निम्नानुसार हैं :-		000055
1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3RM	030355
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1MH	519712
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1TF	000745
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1HP	209510
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	IRQ	491107
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6CR	744360
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3GM	326264
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0QA	100646
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	IAQ	236846
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1CR	156076
11	500 रूपये का एक नोट नग्बर	IBS	065977
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8BU	244510
13	500 रूपयं का एक नोट नम्बर	1BK	865088
14	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8MP	521116
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2UK	245325
16	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6MQ	345951

मालखाने से फिनोफथलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को परिवादी श्री पीरुलाल की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्योनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलावी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा खतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्योनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड० कानि0 से कार्यालय के वाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से ध्लवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैंड0 कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह ध्लवायं गयं। तत्पश्वात् परिवादी को यह भी हिदायत् दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घवराहट का प्रदर्शन न करें; तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0

पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर भिरा कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशास करें। यह निर्धारित इशास द्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में एखा गमा। द्वेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयाँ, गिलास, ढक्क्न, सम्मत्त इत्यादि को श्री पाजेश कानि० से साफ पानी व सायुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में एखवारी गरी। तत्पश्चात् गदाश्चान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी अपनी अपरिवारी को किपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री पीरुत्नाल को रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु ब्यूरो का ठिजीटल टेम रिकोर्डर संचालन की विधी पुनः समझा कर दोनो स्वतंत्र गवाहान के रामक्षा जोरेथे पूर्व सुपूर्व किया गया। रागय 11.25 एएग पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरी जापा श्री महोशनन्त्र कानि., श्री राजेश कुमार कानि., श्री माजिद खाने कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक रांसाधन जारिये प्राईवेट वाहन गय चालक य जिलेन्द्रसिंह कानि.ड्रा व श्री पंकज कानि. व परिवादी पीरुलाल को मोटरसाईकल से ब्यूरो इकाई बासवाडा से वानपुर के लिये खाना हुए। समय 12.20 पीएम पर मन् आंदोरियत पुलिस अधीक्षक, रक्तंत्र गंगाहान, ब्यूरो जाप्ता मय द्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक रांसायन जिस्से प्राईवेट वाहन गय गालक व जितेन्द्रसिंह कानि झ व श्री पंकज कानि. व परिवादी श्री पीरुलाल गोटरसाईकल रो राजकीय प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र दानपुर के पास पहूंच कर परिवादी को मुनासिव हिदायत के विकित्सालय वागपुर के लिये गुनासिब हिदायत के रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस आधीक्षक, रवतंत्र भगादान व स्पूरो जान्ता चिकित्सालय के आस पास अपनी अपनी उपरिथत छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री पीरुलाल ने राजकीय पार्धिंगक रवारथ्य केन्द्र वानपुर के भवन रो बाहर आकर स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर के खुले चौक में खड़े होकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने वाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरने का करने पर गन् अतिरिवत पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता तेज कदमो से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी ने देप रिकोर्डर प्रस्तुत किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि डों प्रवीप शर्मा ने रिश्वत राशि गांग कर ग्रहण करते हुए दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांधी जीव में रख लिये है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहिधानों के साथ परिवादी को हमराह लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की ओर जाने लगा तो मतन के मुख्य प्रार से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही डॉ प्रचीम शर्मो है उस व्यक्ति को गन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व व्यूरो जाप्ते द्वारा रोकते हुए अपना स्वय व हमशिक्षानों का परिवय होते हुए उराको हमराह लेकर स्वास्थ्य केन्द्र में बने चिकित्सक कक्ष में पहूंच कर उस व्यक्ति से नाम, पता पूछा तो उसने अपना डॉ प्रदीप शर्मा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक रवारध्य केन्द्र वानपुर जिला बांसवाडा होना बताया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को परिवादी श्री पीरुलाल रो रिश्वत राशि 8000 रुपये अभी-अभी किस बात के ग्रहण किये गये है के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि पीरुलाल ने मुझे जबरदस्ती 8000 रुपये दिये है जो मैने अपनी पेन्ट की बायी जैब में रख लिये है। जिस पर मौके पर उपरिधत परिवादी ने कहा कि डॉ प्रदीप शर्मा झूट बोल रहे है उनके द्वारा मेरे भाई श्री राजु की पत्नी नरसा के डिलेवरी टाईम होने पर दिनांक 12.06.2022 को चिकित्सालय दानपुर में भर्ती कराया था जिस पर डॉ साहब ने बताया था कि बच्या अन्दर मर गया है डिलेवरी में एक दो दिन का समय लगेगा और डिलेवरी कराने हेतु मुझसे 4000 रुपये खर्चापानी(रिश्वत) के नाम से दिनांक 12.06. 2022 को ही ले लिये और डिलेवरी नहीं होने से दिनांक 14.06.2022 को राजकीय महात्मा गांधी विकित्सालय ग्रांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया और कहा कि गैने चिकित्सालय ग्रांसवाडा में डॉ अमित रो बात हो गई है वह डिलेवरी करा देगें। इसके बाद दिनांक 14.06.2022 को नरसा को चिकित्सालय धांसवाडा में भर्ती कराया गया जहां पर डॉ अभित द्वारा डिलेवरी कराने के लिये 1000 रुपये स्टाफ एवं 8000 रुपये खंय के लिये रिश्वत राशि की गांग की गई। गरसा का राही ईलाज नहीं करने से डॉ अमित सं आपस में बहस बाजी हो गई। इस कारण हों अगित द्वारा रिश्वत राशि हम से सीधी नही मांग कर डॉ प्रदीप के माध्यम से मांग की गई जो भाग अनुसार आज डॉ प्रदीप शर्मा ने रिश्वत राशि 8000 हजार रुपये माम कर महाण किये है। रिश्वत राशि ग्रहण करते समय डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा डॉ अमिलजी को फोन लगाया था लेकिन उनके प्रारा फीन रिसीव नहीं किया गया और इन्होंने साव में पुनः बात करने हेतु कहा था। उक्त वार्तालाप को मेंने हेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। डॉ प्रदीप शर्मा हारा रिश्वत राशि हेतु मुझसे कई बार जिस्ये मोबाईल वाली की थी। जिस पर खीं प्रवीप शर्मा कहने लग गया गलती हो गयी साहर माफ कर दों और कहते लगा कि पेशेन्ट भी मेरे पास भर्ती वही है और व ही मेरा कोई काम पेण्डिंग है पीरुलाल जबरवरती गरसा के ईलाज के लिये दवाई व खर्चापानी के लिये दे गया है जिसे मैंने अपनी जैब में रख लिया है। गौके पर उपस्थित परिवादी पीरालाल ने कहा कि की प्रचीप शर्मा झूठ बोल रहे है केवल अपने बचाव हेतु बहाना बाजी बन्द रहे है मैंने बांई जबरदस्ती रिश्यत एशि गही दी है। तरपश्चात स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व च्यूरो जाप्ता तथा आरोपी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह डॉ विजय सिंह भाटी से आरोपी डॉ प्रतीप शर्मा के पहने हुए पेन्ट की तलाशी लिवाई गयी तो पेन्ट की बांयी जैब से सिगटे हुए 500-500 रुपये के कुछ नोट बरामद हुए जिनका दोनो स्वतंत्र भवाहनों से पूर्व में मूर्तिय की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुवहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500-500 रुपये के 16 नीट कुल 8,000 रुपये बरामद हुए जिसे कच्छो च्यूरो लिया गया तथा घरामद शुदा रिश्वत राशि 8000 रुपये को एक कागज की भीट लगाकर रीलिभीट कर संबंधितों के एस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बावस को श्री राजेश कुमार कानि० से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के

गिलासों में चिकित्सालय में पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक--एक चम्मच सोडियम कार्योनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित वताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी सीं. प्रदीप शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुटे को डुवोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क अर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्वन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगधीन घोल गरे गिलास में आरोपी खाँ प्रदीप शर्मा के बांधे हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भरवाया जाकर राीलबीट बंद करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जीव में रखे थे जिसका घोषन लिया जाना आवश्यक है। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्सालय परिसर में रिथत रारकारी आवास से पहनने हेतु एक पायजामा(लॉवर) मंगवाया जाकर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उत्तरवाई जाकर उसे पायजामा(लॉवर) पहनाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्योनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। वरागद रिश्वत राशि वांबी जीव को उलटवाकर कर तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर सौलचीट कर चीट पर संबंधितों के हरताक्षर कराये गये। पेन्ट की जैय को धुप में सुखाकर जैव पर संबंधितों के हस्ताक्षर कर करवाये गये। एक सफेद कपड़े की थैली में पेन्ट को रखकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा प्रकरण में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन यात(अ) से उक्त रिश्यत राशि 8000 रुपये परिवादी श्री पीरुलाल के भाई राजू की पत्नी श्रीमती नरसा की डिलेयरी कराने एवं अच्छी देखभाल करके ईलाज करने हेतु डॉ अगित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय वांसवाडा के लिये गांग की गई है। जिस पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोवाईल नम्बर 9166678686 से डॉ अभित के गोबाईल नम्बर 9610851110 पर समय 12.39 पीएम पर कॉल कर वार्ता करवायी गई तो डॉ अभित ने फोन रिसीव नहीं किया। सगय 12.51 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने बताया कि डॉ अभित का फोन आ रहा है जिस पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का फोन लाउड स्पीकर पर करवाया जाकर वार्तालाप करवायी जाकर उक्त वार्ता को व्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। उक्त वार्ता में डॉ अगित द्वारा आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को कहा कि काम हो जायेगा वार वार फोन मत करो ईलाज चल रहा है अन्य डॉक्टरों को भी दिखा दिया है टेन्शन मत लो इत्यादि कहा गया। परन्तु रिश्वत संबंधी को वार्तालाप नहीं करने से पुनः समय 12.56 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल से कॉल किया गया तो डॉ अभित ने कॉल रिसीव नहीं किया गया। इसी दौरान समय 12.57 पीएम पर आरोपी डॉ अमित का फोन प्नः आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल पर आने पर फोन को लाउड स्पीकर पर करवाया जाकर उक्त वार्ता को ध्यूरों के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्तालाप में आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा ने 8000 रुपये रिश्यत राशि प्राप्त होने यायत यताया तो डॉ अमित ने कहा कि हां कोई बात नहीं, ईलाज चल रहा है और कोन पर ऐसी बात नहीं करते है लफड़ा हो जायेगा इत्यादि कहा गया। डॉ अमित पूरी सतर्कता रखते हुए रिश्वत वावत तथा गोवाईल पर पैसे की वात नहीं करने का कह रहा है। परिवादी के भाई श्री राजू की पत्नी श्रीमती नरसा को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर से रेफर करने से वर्तमान में राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बासवाडा में भर्ती होकर डॉ अगित द्वारा ईलाज किया जा रहा है। डॉ अमित से रिश्वत मांग का सत्यापन कराया तो उन्होंने रिश्वत बावत परिवादी को मना किया तथा डॉ प्रदीप शर्मा ने परिवादी को कहा कि उसकी डॉ अगित से बात हो गई है वह 8000 रुपये उससे नही लेगें वे 8000 रुपये रवंथ को देने व उसके द्वारा डॉ अमित को पहूंचाने का कहा है। आज रिश्वत लेनदेन के समय भी डॉ अगित को डॉ प्रदीप द्वारा जिरये मोबाईल कहा कि 8000 रुपये आ गये है तो के जवाब में डॉ अमित ने कहा कि हां रखे रहने दो व गोवाईल पर पैसो की बात नहीं करते इसमें लफड़ा हो जायेगा। चूंकि डॉ अगित ने सत्यापन में परिवादी से सीधे रिश्वत की गांग नहीं की है तथा लेनदेन वार्ता में भी सावधानी बरतते हुए खुलकर स्पष्ट नही बोला व पैसे रखे रहने देने की बात की है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से डॉ अगित की भूमिका रांदिग्ध है, परन्तु इस रिश्वत गांग व रिश्वत ग्रहण के मामले में डॉ अभित की भूमिका व रांलिपाता पांचत् विरतृत अनुसंघान रो ही रिथति रपष्ट होगी। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व डॉ अमित के बीच जरिये गोवाईल हुई वार्तालाप की फर्व ट्रान्सिकेप्ट पृथक से गूर्तिय की जायेगी। कार्यवाही के दौरान आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा से श्रीमती नरसा के चिकित्सालय दानपुर में भूती एवं रेफर बाबत रिकोर्ड चाहा तो आरोपी ने बताया कि चिकित्सालय के ओपीडी रिजिस्टर में गरीज गर्ती व रेफर होने बाबत इन्द्राज किया जाता है। चिकित्सालय में उपरिधत श्रीमती मिली मोल रटॉप गर्स फस्ट ग्रेड रो ओपीडी रिजस्टर से श्रीमती नरसा के इन्द्राज बाबत् रिंपरटर की छायाप्रति करवाया जाकर मिली मोल रटॉन नर्रा से प्रमाणित करवाया जाकर शागील पत्रायली किया गया। सगय 01.45 पीएम पर घटनारथल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनारथल नक्का गोका मुर्तिच किया जाकर सम्बन्धित के हरताक्षर करवाये गये। दर्ज रहे कि चिकित्सालय पर काफी भीड़भाड़ हो चुकी है एवं मौके पर सुरक्षा का अभाव होने से समय 01.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गय दोनो रवतंत्र गवाहान, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व ब्यूरो जाव्या गय द्रेप वाक्स जब्त रिश्वत राशि अवादाक गर्व पाना स्वराज निवाल जाता है। जाता है। जाता जाता के बाता के बाता के बाता के बाता के बाता के बाता है। जाता जाता के बाता के बात रिश्वत राशि पेन्ट की जैंब का धोवन गार्क पी-1 व 2, सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट मार्क-पी तथा लेपटॉप,

प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक व परिवादी श्री पीरुलाल मोटरसाईकल से दानपुर से ब्यूरो इकाई बासवाडा के लिये खाना हुआ। समय 02.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा व च्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बाक्स, जब्त रिश्वत राशि 8000 रू, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के दोनो हाथों का घोवन गार्क आरएच-1 व 2, एलएच- 1 व 2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की जैब का धोवन मार्क पी-1 व 2. सीलचीट शुदा पेन्ट पैकेट मार्क-पीतथा लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक व परिवादी श्री पीरुलाल मोटरसाईकल से दानपुर से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बासवाडा पहूंचा। श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक एवं श्री बाबुलाल कानि को संदिग्ध डॉ अभित की तलाश हेतु चिकित्सालय बांसवाडा एवं शहर बासवाडा के लिये मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.06.2022 को परिवादी श्री पीरुलाल व आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के बीच रिश्वत लेन-देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी ने ब्यूरों के छिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी हैं। डिजिटल टेप रिकोर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फर्द ट्रांसिकेप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हरताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डय रीडि बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हरताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 03.10 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही संदिग्ध डॉ अमित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसावाडा के मोबाईल नम्बर 9610851110 से आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोबाईल नन्दर 9166678686 पर हुई वार्ता को आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के मोवाईल फोन को लाउड स्पीकर पे रखते हुए आज दिनांक 15.06.2022 को समय 12.51 पीएम एवं 12.57 पीएम पर ब्यूरों के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी व आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को रुवरु शब्द—बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसिकेप्ट बनवाई गई। पेनड्राईव से डब सीडी बनाई तथा पेन ड्राईव को रुबरू गवाहान एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया गया व डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 03.30 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के कब्जे मिला मोबाईल फोन मय सिमकार्ड वास्ते वजह सबुत जप्त कर विस्तृत फर्द जप्ती मोबाईल मर्तिय कर सम्बन्धितों के हरताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ग्रप्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफतारी मूर्तिय कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.15 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला बांसवाडा से प्रकरण प्रकाछ की गई तो आरोपी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये गये तथ्यों के अलावा नये कोई तथ्ये नहीं दताये गयं। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के सरकारी आवास दानपुर की खाना तलाशी ली जानी है आरोपी डॉ प्रदीप असी को निगरानी हेतु श्री माजिद खान एवं श्री गणेशप्रसाद हैंड कानि. को सुपूर्द किया गया तथा प्रकरण ज़फाशूदा रिश्वत राशि 8000 रुपये, आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के दोनो हाथों के घोवन व बराभद रिश्वत राशि पन्छ के जीव का धोयन सीलचीट शुदा शिशिया, प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वाती. जरिये मांबाईल हुई वार्ता, परिवादी श्री पीरुलाल द्वारा रिकोर्ड की गई वार्तालाप, रिश्वत लेनदेन वार्ता सीलबीट शुदा मेंगोरी कार्ड एवं उच शीडियां इत्यादि श्री राजेश कानि, मालखान प्रभारी को सूपुर्व कर महरसान रजिरटर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। श्री जितेन्द्रसिंह कानि वालक, श्री चाबुलाल कानि सूरो इकाई बांसवाहा छाजिर आये और बताया कि संदिग्ध डॉ अमित विकित्सालय वासवाडा एवं उसके विलीमिक या निवास पर उपस्थित गरी है। संदिग्ध हो अभित को ब्यूरो के हुंप कार्यवाही की भनक लगने से अपनी सकुनत से रुहपोश हो गया है। समय 05.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गय मोनो स्वतंत्र गयाहान् च्यूरो जापा। श्रीमती पुनम महिला कानि, श्री जितन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन योलेरों के ब्यूरों इकाई बासवाका से वानपुर के लिये स्थाना हुआ। समय 06.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मूय दोनी स्वतंत्र गवाहान ब्यूरी जाप्ता श्रीमती पुनम महिला कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन चोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा राजकीय प्राथमिक स्वारध्य केन्द्र दानपुर परिसर् में बने आरोपी हाँ प्रदीप शर्मा के सरकारी आयास पर पार्ट्या जहां पूर्व से पायंद शुद्धा श्री महेशधन्द्र कानि. उपरिश्वत मिला। आरोपी डॉ प्रचीप शर्मा के सरकारी आवास की खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। समय 08.15 पीएम पर आरोपी खाँ प्रदीप शर्मा के सरकारी आबास की खाना तलाशी ली जाबार फर्च खाना तालाशी मूर्तिव कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ध्यूरो जाप्ता श्रीमती पुनम महिला कानि, श्री महेश चन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन बोलेरों के दानपुर से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 09.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व्यूरो जाप्ता श्रीमती पुनम महिला

कानि, श्री गहेश धन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन योलेरों के दानपुर से रवाना शुदा ध्यूरी हकाई यांशवाद्धा पहुंचा। परिवादी श्री पीरुलाल व दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ विजय सिंह भाटी एवं श्री यशवन्त तावियार को मुनासिब हिदायत के रुखसत किये गये। समय 09.45 पीएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा का गेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा तहिर जारी कर श्री वायुलाल कानि0 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को गुनासिब हिदायत के व्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 10.30 पीएम पर श्री वायुलाल कानि0, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक एवं आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा मय सरकारी बोलेरो व वालक श्री जितेन्द्रसिंह व्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। कानि, श्री बायुलाल द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया।

दिगांक 16.05.2022 समय 02.00 एएम पर आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस धाना कोतवाली में जमा कराने तहिर जारी कर श्री वाबुलाल कानि, श्री महेशचन्द्र कानि. मय रास्कारी धोलेरो य चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिव हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.40 एएम पर श्री वाबुलाल कानि, श्री महेशचन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई वासवाडा उपरिधत आये। श्री वाबुलाल कानि ने आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को पुलिस थाना कोतवाली में जमा रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण में आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से वंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर कोरोन। जांच करायी जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय

के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसिकप्शन रिश्वत मांग सत्यापन गोवाईल वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं छाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की सगरत परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री पीरुलाल के भाई श्री राजू की पत्नी श्रीमती गररा। के डिलेवरी टाईम होने से दिनांक 12.06.2022 को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला वांसवाडा में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय के दानपुर के डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा श्रीमती नरसा का ईलाज करने व डिलेवरी कराने के नाम से 4000 रुपये मांग कर ग्रहण किये गये तथा नरसा की डिलेवरी नहीं होने रो राजकीय गहात्मा गांधी चिकित्सालय वांसवाडा के लिये रेफर कर दिया गया। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा श्रीगती नरसा का चिकित्सालय बांसवाडा में अच्छा ईलाज कराने एवं डिलेवरी कराने के नाम से डॉ अभित के लिये 8000 रुपये की रिश्वत की मांग जरिये मोवाईल की गई जिसे परिवादी श्री पीरुलाल द्वारा रिकोर्ड कर प्रार्थना पत्र के साथ सीडी पेश की गई। दिनांक 14.06.2022 को परिवादी एवं डॉ प्रदीप शर्मा से जिरिये दूरभाष वार्तालान कराई गई तो आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवादी से 8000 रुपये डॉ अमित के लिये गांग करना पाया गया। दिनांक 14.06.2022 को परिवादी श्री पीरुलाल को डॉ अमित से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा गया परन्तु डॉ अमित द्वारा रिश्वत संबंधी कोई वार्ता नहीं की गई। परिवादी ने बताया कि डॉ0 अमित से नरसा के ईलाज के लिये वहस-वाजी होने से वह अब सीधे रिश्वत की मांग नहीं कर रहे हैं। डॉं0 प्रदीप शर्मा अब डॉं0 अभित के लिए 8000 रूपये रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि उन्हें ही देंगे का कह रहे हैं। मांग सत्यापन से आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा परिवादी से 8000 रूपये रिश्वत की मांग डॉ अगित के लिये करना पाया जाने पर दिनांक 15.06.2022 को आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा को परिवादी श्री भीरुलाल से रिश्वत राशि 8000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी डॉ प्रदीप शर्मा के विरुद्ध जुर्ग अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित

प्ररक्षण में डॉ अमित राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा की भूमिका संदिग्ध है एवं डॉ अमित की व्यूरो जाप्ता तलाश की गई तो वह अपनी सकूनत से रुहपोश है। प्रकरण में इस रिश्वत गांग एवं रिश्वत ग्रहण के गांगले में उसकी भूमिका व संलिप्तता बावत् विस्तृत अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट

अतः आरोपी डॉ. प्रदीप शर्मा पिता श्री भगवान सहाय शर्मा उग्र 40 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी गांव पाली थाना महुआ जिला दौसा हाल चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर जिला वांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा ७ ग्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में विना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, ग्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेपित हैं।

भवदीय

भि (माधोसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

## सेवा विवरण

1-ेनाम: डॉ. प्रदीप शर्मा

2- पिता का नाम : श्री भगवान सहाय शर्मा

3- जन्म तिथि : 30.10.1982

4- निवासी : गांव पाली थाना मह्आ जिला दौसा

5— पदनाम एवं पदस्थापन : चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दानपुर

जिला बांसवाडा।

6- विभाग : चिकित्सा विभाग

7- क्या सेवा में स्थाई कृत है :

8- वेतन एवं वेतन श्रृंखला : 80700/- मूल वेतन

9— वेतन वृद्धि दिनांक : जुलाई, 2022

10— सेवानिवृति दिनांक : 30.10.2044

11- सेवा से पृथक करने वाले अधिकारी का पद नाम : श्रीमान निदेशक, (स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर।

(माधीसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ (यथा संशोधित २०१८) में आरोपी डॉ. प्रदीप शर्मा, चिकित्साधिकारी, प्रभारी, राजकीय प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र दानपुर, जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या २४३/२०२२ उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2135-40 दिनांक 16.6.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. निदेशक, (स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।
- 4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
- 6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।